होटल /मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल से होने वाले प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण हेतु उपायों पर मार्गदर्शिका (नारंगी व हरी श्रेणी हेतु)

2021

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर –302004

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर –302004

होटल /मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल से होने वाले प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण हेतु उपायों पर मार्गदर्शिका (नारंगी व हरी श्रेणी हेतु)

F-14 (5 Adm)/ RPCB/PLG/

दिनांक–

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय–समय पर होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल हेतु जारी कार्यालय आदेशों के अनुक्रमण में उक्त इकाईयों से होने वाले प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण हेतु उपायों पर निम्नलिखित मार्गदर्शिका जारी की जाती है:–

1. **होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/ बैंक्वेट हॉल से होने वाले प्रदूषण :–**
   - **जल प्रदूषण:**–उक्त प्रकार की इकाइयों में जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत फल/सब्जी/बर्तनों/फर्श की धुलाई, साफ–सफाई (हाऊस कीपिंग)/स्नानघर/शौचालय इत्यादि होते है।
   - **वायु प्रदूषण:–** वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत रसोई में पारंपरिक ईंधन का उपयोग, डी.जी. सेट्स, तंदूर इत्यादि होते हैं।
   - **ठोस अपशिष्ट:–** ठोस कचरे के स्रोत में रसोई का कचरा, प्लास्टिक कचरे (पैकेजिंग से और डिस्पोजेबल प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे कप, प्लेट, ग्लास आदि के उपयोग से), खाने की झूठन इत्यादि होते है।
   - **ध्वनि प्रदूषण:–** ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लाउडस्पीकर और डी.जे. संगीत, आतिशबाजी, बिना एकॉस्टिक एनक्लोजर के जनरेटर सेटों का संचालन, अनुचित पार्किंग के कारण यातायात की भीड़ से ध्वनि प्रदूषण होते हैं।

2. **भूमि का चयन:–**

   अ. इस प्रकार की इकाई स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यावसायिक / औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि पर स्थापित की जा सकती हैं।

   ब. ऐसी **मैरिज गार्डन** इकाईयां जो कि आवासीय भूमि/ खातेदारी भूमि पर स्थापित हैं, उन्हें सम्बन्धित सक्षम अधिकारी यथा स्थानीय निकाय विभाग (नगर परिषद/नगर पालिका आदि) अथवा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (नगर निगम/नगर विकास न्यास स्थानीय विकास प्राधिकरण आदि) इत्यादि से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र/अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी:–** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पत्र कमांक एफ. 14/(23)/Policy/ RPCB/Plg. /153 to 189, dated 02-06-2020 के अनुसार इस प्रकार की इकाईयों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :–

इकाई के प्रकार	श्रेणी
20 कमरों तक की क्षमता वाले होटल, 25 सीट तक की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, 2500 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले मैरिज गार्डन/बैंक्वेट हॉल	हरी श्रेणी

21 कमरों से 99 कमरों तक की क्षमता वाले होटल, 3 स्टार रेटिंग से कम के होटल 25 सीट से अधिक क्षमता के रेस्टोरेंट, 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक वाले मैरिज गार्डन/बैंक्वेट हॉल	नारंगी श्रेणी

4. <u>सम्मति की अवधि</u> :–

- हरी श्रेणी में वर्गीकृत उक्त ईकाइयों (जिन की कुल लागत 5 करोड़ रूपये या कम है) को राज्य मण्डल से एक बार स्थापना/संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त करना होता है **(One time Acknowledgement)** उसकी वैधता तब तक रहती है जब तक कि **होटल/रेस्टोरेंट/मैरिज गार्डन/बैंक्वेट हॉल** की क्षमता अथवा जनित होने वाले उच्छिष्ठ की मात्रा/उच्छिष्ठ निस्त्राव के बिन्दुओं की संख्या या वायु प्रदूषक तत्वों के उर्त्सजन के स्त्रोतों में कोई परिवर्तन ना हो।
- हरी श्रेणी में वर्गीकृत उक्त इकाईयों (जिन की कुल लागत 5 करोड़ रूपये से अधिक है) को एक बार में 15 वर्ष तक तथा नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत उक्त ईकाईयों को एक बार में 10 वर्ष तक की संचालन हेतु सम्मति प्रदान की जाती है।

5. <u>प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय/ दिशानिर्देश</u> :– इस प्रकार की इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न उपाय अपनाये जाने चाहिये :–

1. <u>जल प्रदूषण की नियंत्रण व्यवस्था :–</u>

- जल संसाधनों को बचाने और अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने के लिए प्रभावी जल बचत उपकरणों को स्थापित किया जाना चाहिए और पानी की बचत और/या पानी को पुनः उपयोग/पुनः चक्रित किया जाना चाहिए।
- हरी श्रेणी के होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल द्वारा रसोई घर, वस्त्र धुलाई, अन्य घरेलू उपयोगों आदि से जनित उच्छिष्ट को ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप, और पर्याप्त क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से उपचारित/निष्पादित किया जा सकेगा।
- नारंगी श्रेणी के होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल आदि जिनसे निस्त्रावित सीवेज की मात्रा 10 किलोलीटर प्रतिदिन से कम है, उनके द्वारा रसोई घर, वस्त्र धुलाई, अन्य घरेलू उपयोगों आदि से जनित उच्छिष्ट को ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप, और पर्याप्त क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से उपचारित/निष्पादित किया जा सकेगा।
- नारंगी श्रेणी होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वट्स हॉल आदि जिनसे निस्त्रावित सीवेज की मात्रा 10 किलोलीटर प्रतिदिन या उससे अधिक है, उन्हें रसोई घर, वस्त्र धुलाई अन्य घरेलू उपयोगों से जनित मल जल उच्छिष्ट (सीवेज) के उपचार हेतु पर्याप्त क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
  - ❖ उक्त इकाइयों द्वारा एस.टी.पी. से उपचारित पानी का उपयोग टॉयलेट फ्लशिंग, फ्लोर वाशिंग, गार्डनिंग और अन्य कार्यों में किया जायेगा तथा परिसर से बाहर किसी भी तरह के उच्छिष्ट को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर –302004

- होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट इकाईयों यदि अपने निस्त्रावित सीवेज को नगरपालिका/नगर निगम के सीवर में प्रवाहित करते हैं तथा सीवर, संयुक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार संयंत्र) तक पहुंचाती है तो ईकाई को एस.टी.पी. लगाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु इस प्रकार की इकाईयों से निकलने वाले रसोई और कपड़े धोने इत्यादि से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट में से तेल एवं ग्रीस (चिकनाई) को अलग करने हेतु वैज्ञानिक तरीके से ऑयल एवं ग्रीस ट्रेप का निर्माण करना आवश्यक होगा। इकाई प्रबन्धक द्वारा इस आशय का स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा।

- उपचारित जल के निर्धारित मानक निम्न प्रकार से हैं:–

Parameters	Effluent Standards (Limiting concentration in mg/l, except pH)		Units, if discharged effluent in to a municipal sewer leading to a sewage treatment plant. *(as the case may be, shall provide a proper Oil and Grease Trap for effluent arising from its kitchen and laundry and shall have to comply with the 'General Standards for Discharge of Environmental Pollutants Part-A: Effluents' notified under Schedule-VI])*
	Inland surface water	On land for irrigation	Public sewers
pH	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0
BOD 3days, 27^0C (mg/l)	30	100	350
Total Suspended Solids (mg/l)	50	100	600
Oil & Grease (mg/l)	10	10	20
Phosphate as P (mg/l)	1.0	-	--

2. <u>वायु प्रदूषण की नियंत्रण व्यवस्था</u> :–होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल आदि में खाना बनाने/पकाने में स्वच्छ ईंधन **(Cleaner fuel)** यथा पी.एन.जी **(PNG)**, सी.एन.जी **(CNG)** एल.पी.जी, इत्यादि को **प्राथमिकता** के आधार पर उपयोग में लिया जायेगा।

- उक्त इकाईयों में स्थापित जनरेटर सैट तथा बॉयलर आदि में केवल **Cleaner fuel** यथा पी.एन.जी **(PNG)**, **सी.एन.जी (CNG)** एल.पी.जी, तरल ईधन (फरनेस ऑयल के अतिरिक्त) का उपयोग किया जायेगा।

- इकाईयां खाना पकाने और रसोई के संचालन से होने वाले उत्सर्जन के लिए डक्टिंग/हुड और उचित निकास प्रणाली को व्यवस्थित करेगी।
- इकाई परिसर मे केवल एकॉस्टिक एन्क्लोजर एवं पर्याप्त ऊंचाई की चिमनी के जनरेटर सैट स्थापित किये जायेगें।

3. <u>ध्वनि प्रदूषण की नियंत्रण व्यवस्था :–</u>

- उक्त इकाईयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण की नियंत्रण व्यवस्था ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4. <u>भू–जल दोहन :–</u>

- सभी इकाईयां भू–जल दोहन की मात्रा मापने के लिए अपने बोर–वेल (कुएँ) पर वाटर मीटर स्थापित कर लॉग–बुक की व्यवस्था करेंगे। ऐसी इकाइयां जिनमें भू–जल दोहन 10 किलो लीटर/प्रतिदिन या इससे अधिक हैं, उनको भू–जल दोहन के लिए केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से आवश्यक अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

5. <u>जल संरक्षण के उपाय :–</u>

- ऐसी सभी इकाईयां जिनमें भू–जल दोहन किया जाता हैं के द्वारा इकाई परिसर मे वर्षा जल संचयन प्रणाली **(Rain Water Harvesting structure)** स्थापित की जावेगी।

6. <u>ऊर्जा संरक्षण के उपाय :–</u>

- ऐसी इकाईयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे रोशनी, जल गर्म करने इत्यादि में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डीजल जनरेटर सेट के बजाय इनवर्टर का उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एल.ई.डी बल्ब/ टयूबलाइट का उपयोग किया जाना चाहिए।

7. <u>ठोस कचरे का प्रबंधन :–</u>

- ऐसी सभी इकाईयों से उत्पन्न ठोस कचरे का उचित प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
- 100 किलोग्राम/दिन से अधिक का कचरा उत्पन्न करने वाली सभी इकाइयों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार बायोडीग्रेडेबल कचरे को उपचारित कर जैविक खाद के रूप में इकाई परिसर में उपयोग किया जायेगा तथा नोन– बायोडीग्रेडेबल कचरे को स्थानीय निकाय के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट/एस.एल.एफ. (Sanitary Land Filling) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
- ऐसी सभी इकाईयों द्वारा कोई भी कचरा सड़कों पर, उसके परिसर के बाहर या नाले या जल निकायों में नहीं डाला जाएगा एवं इकाई में उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट को उपचारित खाद के रूप में उपयोग लिया जाएगा।

8. <u>इलैक्ट्रोनिक (ई–वेस्ट) कचरे का प्रबंधन :–</u>
उक्त इकाईयों द्वारा ई–वेस्ट का निस्तारण ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

9. <u>प्लास्टिक वेस्ट कचरे का प्रबंधन :–</u>
उक्त इकाईयों द्वारा प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण प्लास्टिक वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

10. <u>वृक्षारोपण :–</u>

- ऐसी सभी इकाईयों विशेषकर मैरिज गार्डन परिसर के चारों ओर चारदीवारी के साथ–साथ प्राकृतिक सघन वनस्पतियों के बड़े वृक्ष जैसे नीम, शीशम, पीपल आदि का रोपण किया जावेगा।

6. <u>स्थापना एवं संचालन हेतु सम्मति (Conesnt to Establish and Consent to Operate)</u>

ऐसी सभी इकाईयों को निर्माण कार्य शुरू करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना हेतु सम्मति (CTE) प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार उक्त इकाईयों को संचालन प्रारंभ करने अथवा पूर्व में दी जारी सम्मति की अवधि समाप्त होने से चार माह पूर्व संचालन हेतु सम्मति (CTO) हेतु राज्य मण्डल में आवेदन करना अनिवार्य है।

स्थापना सम्मति हेतु एवं संचालन सम्मति हेतु आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से है:–

<u>स्थापना सम्मति हेतु आवेदन के लिये</u>	<u>संचालन सम्मति हेतु आवेदन के लिये</u>
i. स्थापना सम्मति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र। ii. स्थापना सम्मति आवेदन के साथ निर्धारित ऑनलाईन शुल्क का निर्धारण, भूमि, भवन, मशीनरी की कुल लागत पर निर्धारित किया गया है। iii. स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। iv फिजिबिलिटी रिपोर्ट (विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के स्त्रोत एवं उसके निवारण से सम्बन्धित) v जमीन आवंटन/जमीन रूपान्तरण आदेश जमीन के उपयोग हेतु स्वामित्व दस्तावेज एवं/अथवां स्थानीय प्रशासन/निगम का अनापति प्रमाण पत्र। vi स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। vii इकाई में पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित दस्तावेज(भू–जल विभाग/ पीएचईडी/रीको)। viii आवासीय भूमि, खातेदारी की भूमि पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी, नगर परिषद, नगर विकास न्यास आदि के द्वारा पंजीकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र। ix भू–जल दोहन के लिये केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण की अनुमति/आवेदन प्रति।	i. संचालन सम्मति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र ii. संचालन सम्मति आवेदन के साथ ऑन लाईन शुल्क। iii. आवेदनकर्ता के लिये authority letter । iv स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र। v चार्टेड अकाउन्टेन्ट से प्रमाणित प्रोजेक्ट में हुए कुल निवेश का पत्र। vi पूर्व में जारी स्थापना सम्मति/संचालन सम्मति की अनुपालना। vii इकाई में पानी के आपूर्ति से सम्बन्धित दस्तावेज (भू–जल विभाग/ पीएचईडी/ रीको)। viii भू–जल दोहन के लिये केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण की अनुमति/आवेदन प्रति।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर –302004

http://environment.rajasthan.gov.in आवेदन पत्र वेबसाईट राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

- सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे होटल/मैरिज गार्डन/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वेट हॉल/ से होने वाले प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण हेतु उपायों पर मार्गदर्शिका (नारंगी व हरी श्रेणी हेतु) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- इन दिशा–निर्देशों को पिछले सभी दिशा–निर्देशों के लिए अधिशेष में जारी किया जा रहा है यह सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।
- होटल/मैरिज गार्डन/बैंक्वेट हॉल/ की श्रेणी, इनको दी जाने वाली सम्मति की अवधि तथा सम्मति आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अथवा अन्य विभाग (जैसेः– केन्द्रीय भू–जल विभाग इत्यादि)द्वारा समय–समय जारी आदेशों के अनुसार स्वतः परिवर्तित मानी जाएगी।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, **Non attainment city** (जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर व उदयपुर) इत्यादि क्षेत्र में प्रदूषण के रोकथाम हेतु विभिन्न न्यायालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होगें।

सदस्य सचिव

F-14 (5 Adm)/ RPCB/PLG/1206-1243 दिनांक– 30.6.202

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष रा. प्र. नि. मं. जयपुर।
2. वरि. निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा. प्र. नि. मं. जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, रा. प्र. नि. मं. जयपुर।
4. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, रा. प्र. नि. मं. जयपुर।
5. शाखा प्रभारी, योजना/प्रयोगशाला/बी.एम.डब्ल्यू./हजार्डियस, लिक्विड, ई–वेस्ट/एम.एस. डब्ल्यू/टैक्सटाइल/सी.पी.पी./एम.यू.आई.डी./खनन एवं एस.सी.एम.जी./विधि, सी.डी., पी.डी. एफ./प्रोजेक्ट एवम् आई.ई.सी./पी.सी.वी. एवम् ई.सी./आई.टी./आर.टी.आई.,/जल उपकर/लेखाशाखा/प्लास्टिक/स्थापना शाखा/पुस्तकालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर/बालोतरा/भरतपुर/कोटा बीकानेर/भीलवाड़ा/भिवाड़ी/चितौडगढ/जयपुर (उत्तर/दक्षिण)/जोधपुर/किशनगढ़/पाली/ सीकर/उदयपुर।
7. शाखा प्रभारी (आई.टी.) रा. प्र. नि. मं. जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि गाईडलाईन को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

सदस्य सचिव